भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3983
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

बहु-उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण एककों को स्थापित करना

3983. श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शीतागार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना अथवा शीतागार योजना के अंतर्गत बहु-उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके अभीष्ट परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में बहु-उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश भर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के माध्यम से स्टैंडअलोन शीतागार की स्थापना के लिए दो योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिनके नाम हैं (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और (ii) बागवानी के लिए शीतागार और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी। एमआईडीएच स्कीम के तहत, राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बागवानी के लिए शीतागार और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीतागार और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के तहत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) शीतागार स्कीम को लागू नहीं करता है। परंतु, एमओएफपीआई केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

(पीएमकेएसवाई) के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला स्कीम) नामक एक घटक स्कीम को लागू करता है जिसका उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गैर-बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, पॉल्ट्री और समुद्रीउत्पाद/मछली (झींगा को छोड़कर) में होने वाली फसलोत्तर हानि को कम किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों (एकीकृत या स्टैंडअलोन) सहित शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्र में परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के अध्यधीन अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (ग): मौजूदा शीत श्रृंखला स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों सहित शीत श्रृंखला परियोजनाओं के पूरा होने और संचालन की समय-सीमा सामान्य क्षेत्रों और कठिन क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के मामले में क्रमशः 24 महीने और 30 महीने है।

खाद्य विकिरण इकाइयां निम्नलिखित लाभ को जोड़कर विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण पद्धतियों के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक पहल प्रदान करती हैं:

- फसलोत्तर नुकसान में कमी: (i) अंकुरण और पकने की रोकथाम/विलंब, (ii) शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और (iii) कच्चे खाद्य पदार्थों की खराब होने की संभावना में कमी।
- सुरक्षा और संधारणीयता : (i) गैर-प्रदूषणकारी और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया, (ii) खाद्य मूल्य श्रृंखला के कार्बन पदचिह्न में कमी और (iii) विषाक्त रसायनों से मुक्त।
- उत्पाद की गुणवत्ता बरकरार रखता है: (i) बनावट और पोषण पर कोई प्रभाव नहीं/न्यूनतम प्रभाव और (ii) सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को निष्क्रिय करना/रोकना।

शीत श्रृंखला सुविधा के साथ खाद्य विकिरण के उपरोक्त लाभ के कारण अंततः किसानों को एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से जोड़ा जा सकेगा, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य और देश भर में उपभोक्ताओं को वर्ष भर खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(घ) से (ङ): शीत श्रृंखला स्कीम मांग आधारित है और इस स्कीम के तहत इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

*****